केवल न्यायालय के उपयोग हेतु
निःशुल्क प्रतिलिपि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ. अशोक कुमार IAS

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 287 / 2018

सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।

प्रहलादी देवी पत्नी स्व0 श्री कृष्ण कुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–राजपूताना स्टेडियम बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जयपुर। — प्रार्थी,

बनाम

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत)

उपस्थिति:–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23.10.2019

तहसीलदार, आमेर की ओर से एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सींगवाना की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–27 के ख0नं0 193, 196, 197, 198 कुल किता 4 कुल रकबा 210 बीघा 1 बिस्वा किस्म बंजड़ दोयम मकबुजा ठीकाना लगानी दर्ज थी। उक्त खतौनी बन्दोबस्त के उक्त खसरा नम्बरान के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल एकीकरण सम्वत् 2021 के ख0नं0 85 रकबा 210 बीघा किस्म बंजड दोयम सिवायचक दर्ज थी। जिसके नवीन ख0नं0 705 रकबा 03.79 हे0 किस्म बारानी 2 है। उक्त वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.1961 के अनुसार वन विभाग के नाम अधिसूचित हो गई थी। किन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल नही होने से अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई। अतः वादग्रस्त भूमि वन विभाग के नाम अधिसूचित होने के कारण खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड हजाफ कर वन विभाग के नाम दर्ज की जावें।

सत्य–प्रतिलिपि
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर

तहसीलदार, आमेर से प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जा कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि तहसील आमेर के ग्राम सींगवाना की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–27 के ख0नं0 193, 196, 197, 198 कुल किता 4 कुल रकबा 210 बीघा 1 बिस्वा किस्म बंजड़ दोयम मकबुजा ठीकाना लगानी दर्ज थी। उक्त खतौनी बन्दोबस्त के उक्त खसरा नम्बरान के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल एकीकरण सम्वत् 2021 के ख0नं0 85 रकबा 210 बीघा किस्म बंजड दोयम सिवायचक दर्ज थी। जिसके नवीन ख0नं0 705 रकबा 03.79 हे0 किस्म

Scanned by CamScanner

वारानी-2 है। उक्त वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.1961 के अनुसार वन विभाग के नाम अधिसूचित हो गई थी, किन्तु राजस्व रिकार्ड मे अमल नही होने से अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–2027 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि की किस्म बंजड दोयम मकबूजा ठिकाना लगानी दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (पी.आई.एल.) रिट सं0 17036/2015 की अनुपालना बावत् जिला कलक्टर, जयपुर के पत्रांक आर–6 ( ) 16/4535 दिनांक 06.07.2016 की पालना में नियम विरूद्ध दर्ज खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड से हजाफ कर वन विभाग के नाम दर्ज किया जावें। राज्य सरकार के पत्रांक प.2 (684)/राज/ग्रुप–3/06 दिनांक 06.03.2006 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि वन विभाग की भूमि घोषित करने की अधिसूचना जारी होने के समय राजस्व रिकार्ड में जो भूमियां सिवायचक दर्ज थी और अधिसूचना की समय पर अनुपालना नही होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वन भूमि के नाम अमल दरामद नही होने से आवंटन अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि हेतु भूमिहीन कृषकों को आवंटित कर दी गई थी या नियमन कर दी गई थी या उन पर खातेदारी अधिकार दे दिये गये थे। ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त कर वन विभाग के नाम दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः वादग्रस्त भूमि की खातेदारी निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को वन भूमि घोषित की जावें।

हमनें एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–2027 में तहसील आमेर के ग्राम सींगवाना स्थित साविक ख0नं0 193, 196, 197, 198 कुल किता 4 कुल रकबा 210 बीघा 1 बिस्वा किस्म बंजड दोयम मकबुजा ठीकाना लगानी दर्ज रही है। जमाबंदी सम्वत् 2021 के ख0नं0 85 रकबा 210 बीघा किस्म बंजड दोयम सिवायचक दर्ज थी। जिसके हाल ख0नं0 705 रकबा 03.79 हे0 किस्म वारानी 2 है। उक्त भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.1961 के अनुसार वन विभाग के नाम अधिसूचित हो गई थी। जो जरिये आवंटन प्रहलादी देवी वेवा कृष्ण कुमार जाति ब्राम्हण, निवासी–राजपूतान स्टेडियम बिल्डींग स्टेशन रोड, जयपुर के नाम गैर–खातेदार दर्ज रिकार्ड हो गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत उल्लेखित गैर–मुमकिन वन भूमि का आवंटन किसी को नही किया जा सकता। किन्तु अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत वन भूमि का आवंटन निजी खातेदार को आवंटन कर खातेदारी दी गई है जो प्रारंभ से शून्य है और ऐसे प्रारंभ से शून्य आधारित निर्णय आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण में एवं इसके पश्चात् की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती है। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो वह प्रभाव शून्य है। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, जयपुर में दायर डी.बी. (पी. आई.एल.) रिट नं0 17036/2015 उनवानी अभियान पीपुल्स वाईस बनाम सरकार एवं

सत्य–प्रतिलिपि
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner

केवल न्यायालय के उपयोग हेतु
निःशुल्क प्रति प्रतिलिपि

राज्य सरकार के पत्रांक प.2 (684)/राज./ ग्रुप–3/06 दिनांक 06.03.2006 की पालना में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.1961 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वन विभाग के नाम अधिसूचित होने के कारण प्रार्थी तहसीलदार, आमेर द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी ख0नं0 705 रकबा 03.79 हे0 किस्म बारानी 2 वाके ग्राम सींगवाना का आवंटन बहक प्रहलादी देवी बेवा कृष्ण कुमार जाति ब्राम्हण, निवासी–राजपूतान स्टेडियम बिल्डींग स्टेशन रोड, जयपुर को आंवटन की सीमा तक निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज में किये गये इन्द्राजात एवं इसके पश्चात् की गई समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.10.2019 को सुनाया गया।

सत्य–प्रतिलिपि

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर

Scanned by CamScanner